इचरज कंवर v/s गजपतसिंह वगैरह -
T.I. 126/2013 - Remark 2013/00078

6/7/2022 पत्रावली पेश हुई / आज श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी राजकार्य / अवकाश से बाहर पधारे है। अतः पत्रावली दिनांक 24/6/2022 को पेश हो।

24/6/2022 पक्षकारान फरीकेन मय वकील हाजिर हुए। बाबते आदेश मामले दिनांक 4.7.2022 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

04/07/2022 पक्षकारान फरीकेन उपप्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत पावतगत भूमि लेकर इस न्यायालय मे वाद विचारधीन है। प्रस्तुत भूमि पैतृक भूमि है। पक्षकारान के मध्य और विवाद होगी बढ़े तथा शान्ति व्यवस्था कायम रहे। प्रजा इत्तफाक, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति के सिद्ध प्रार्थी के पक्ष मे प्रतीत होते हो। न्यायिक दृष्टिकोण से पक्षकारान को प्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया जाना आवश्यक है। अतः पूर्व मे जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 27.12.2013 ता कायम वाद पर्यन्त की जाती है। पक्षकारान कब्जेदार शुमार घोषित रहे वाद के लम्बित रहे।

आदेश मेरे इजलास आज दिनांक 4.7.2022 को सुनाया गया।